छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 2 अगस्त, 2010
(श्रावण-11, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03 एवं 05 से 10 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री दूजराम बौद्ध अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 14 तारांकित एवं 36 अंतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 की चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

3. पृच्छा

फ्रेंडशिप डे के अवसर पर धर्मसेना के कार्यकत्ताओं द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार

राजधानी रायपुर में दिनांक 1 अगस्त, 2010 को फ्रेंडशिप डे के अवसर पर धर्मसेना के कार्यकर्त्ताओं द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एवं कालिख पोतने संबंधी घटना पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा शासन से वक्तव्य की मांग एवं नारेबाजी करते हुए पर्चे लहराए गए।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि प्रश्नकाल के पश्चात् जीरो आवर्स लिया जाता है उसमें जो माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं वह एक-दो मिनट में अपनी बात रख सकते हैं। जीरो आवर्स के माध्यम से आप शासन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

श्री नंदकुमार पटेल एवं श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा गृह मंत्री से वक्तव्य दिये जाने की मांग की एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि - आपने शून्यकाल में शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है, लेकिन नियम प्रक्रिया के अंतर्गत कोई सूचना नहीं दी है, यदि आप कोई सूचना देंगें तो उस पर हम विचार कर आगे की कार्यवाही करेंगे। कृपया कार्यवाही के संचालन में सहयोग करें।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने -

(1) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2009-2010 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा

(2) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का निष्पादन (परफार्मेंस) बजट,

पटल पर रखे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.12 बजे 10 मिनट तक के लिए स्थगित की जाकर 12.25 बजे पुनः प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः शासन से वक्तव्य की मांग की गई।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने प्रकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की। किंतु प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान किया गया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री से वक्तव्य दिये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध किया कि शून्यकाल की परंपरा है और उस परंपरा का हम निर्वाह करते हैं जिसमें माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात रखते हैं, उसमें यदि माननीय मंत्री कुछ कहना चाहें तो वह कह सकते हैं। हम सदन को विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अनुसार ही चलाते हैं। हम सबको मिलकर इसका समुचित समाधान करते हुए सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः वक्तव्य की मांग की गई। गृह मंत्री श्री ननकीराम कंवर द्वारा प्रकरण पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई।

5. बहिर्गमन

शासन द्वारा वक्तव्य न दिये जाने के विरोध में श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

6.ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विषयों की महत्ता एवं माननीय सदस्यों के आग्रह पर विचार कर सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल कर उन्होंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

(1) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य ने राजधानी रायपुर में व्यावसायिक परिसर के निर्माण में पार्किंग व्यवस्था न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) डॉ.हरिदास भारद्वाज , सदस्य ने प्रदेश के शहरी इलाकों में फर्जी बी.पी.एल. राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव किए जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) श्री रामदयाल उईके, सदस्य ने जिला कोरबा के ग्राम सलईगोंड-सखोदा में शुद्ध पेयजल के अभाव में लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेश गागड़ा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल, सदस्य ने बिलासपुर एवं रायपुर स्थित गोकुल धाम/गोकुल नगर में प्राथमिक सुविधा का अभाव होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रम 4 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

7.नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री भोलाराम साहू
(3) मोहम्मद अकबर
(4) श्री दूजराम बौद्ध
(5) महंत रामसुंदर दास
(6) श्री रुद्र कुमार गुरु
(7) श्रीमती अंबिका मरकाम
(8) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी
(9) श्री रामपुकार सिंह
(10) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी
(11) श्री अमरजीत भगत

8.उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 8 (2) के तद्अनुरूप नियम 7 के उप नियम (2) के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह के लिए पृथक-पृथक प्रस्तावकों की ओर से दो एवं माननीय सदस्य, श्री नारायण चंदेल के लिए पृथक-पृथक प्रस्तावकों की ओर से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 7 के उप नियम (4) के अनुसार जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गए हों, वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में कि वे प्रस्तुत किये गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे, यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उनके समक्ष माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह को उपाध्यक्ष चुनने के लिये दो प्रस्ताव, क्रमांक 1 और 2 तथा माननीय सदस्य श्री नारायण चंदेल को उपाध्यक्ष चुनने के लिये 3 प्रस्ताव, क्रमांक 3 से 5 प्राप्त हुये हैं। चूंकि प्रथम दो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह को उपाध्यक्ष चुनने के लिये प्राप्त हुये हैं, अतः मैं सर्वप्रथम दोनों प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तावकों एवं समर्थकों के नाम पुकारुंगा और जो भी प्रस्ताव प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे और समर्थकों द्वारा उसका समर्थन किया जायेगा, उनको स्वीकृति के लिये सदन का मत लूंगा।

माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाये, इस हेतु क्रमांक 1 से 2 तक निम्नानुसार 2 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। चूंकि दोनों प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य को उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन के लिये हैं, अतः मैं दोनों प्रस्तावों को प्रस्तुत करने वाले सदस्यों एवं समर्थकों के नाम पुकारुंगा और दोनों प्रस्तावों पर एक साथ मत लूंगा।

माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह को उपाध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव

(1) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि - श्री धर्मजीत सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।

श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि - श्री धर्मजीत सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर मत लिया।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 39 मत तथा विपक्ष में 50 मत पड़े।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य श्री नारायण चंदेल को उपाध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - माननीय सदस्य श्री नारायण चंदेल को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाये, इस हेतु क्रमांक 3 से 5 तक निम्नानुसार 3 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। अतः अब मैं इन तीनों प्रस्तावों को प्रस्तुत करने वाले सदस्यों एवं समर्थकों के नाम पुकारूंगा और तीनों प्रस्तावों पर एक साथ मत लूंगा।

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि - श्री नारायण चंदेल, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि - श्री नारायण चंदेल, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।

श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - श्री नारायण चंदेल, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।

श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने श्री नारायण चंदेल, सदस्य के छत्तीसगढ़ विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की।

9.नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री नारायण चंदेल को उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर अपनी तथा सदन की ओर से बधाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह, दूजराम बौद्ध एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई दी।

उपाध्यक्ष महोदय श्री नारायण चंदेल ने आभार प्रकट किया।

(2.10 से 3.32 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने उपाध्यक्ष महोदय के पहली बार आसंदी पर पीठासीन होने पर बधाई दी एवं उनके द्वारा सदन के सफल संचालन हेतु शुभकामनाएं व्यक्त की।

माननीय उपाध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के समस्त सदस्यों का आभार माना तथा उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने संबंधी उद्‌गार व्यक्त किए।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21, सन् 2010)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21, सन् 2010) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 22, सन् 2010)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 22, सन् 2010) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 23, सन् 2010)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 23, सन् 2010) पुर:स्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24, सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24, सन् 2010) पुरःस्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया :-

(1)	छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21, सन् 2010)	-	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 23, सन् 2010)	-	30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24, सन् 2010)	-	1 घंटा

(5) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20, सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20, सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20, सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

11.नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - आज की कार्यसूची में विषयों के महत्व एवं माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए उन्होंने नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा में प्रदेश में खाद एवं बीज का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एवं मौसमी संक्रामक बीमारियों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दो चर्चाओं को सम्मिलित किया है। नियम 139 के अंतर्गत प्रत्येक चर्चा हेतु अधिकतम समय डेढ़ घंटा निर्धारित है।

दोनों ही विषय तात्कालिक एवं जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय हैं और दोनों ही विषयों पर महत्वपूर्ण तथ्य सभा में आयें, सरकार की चूक और उन्हें दूर करने के उपाय माननीय सदस्य व्यक्त करें, ताकि शासन के द्वारा उनका समाधान किया जा सके। सीमित समय को देखते हुए मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि चर्चा की सूचना देने वाले सदस्य अपनी महत्वपूर्ण बातें, सुझाव सभा के समक्ष दस-दस मिनट में रखें और दोनों ही पक्ष से चर्चा में भाग लेने वाले समस्त माननीय सदस्य पांच-पांच मिनट में अपनी बात रखें। दोनों चर्चा में रुचि के अनुसार अलग-अलग सदस्य हिस्सा लें, तो चर्चा सार्थक एवं समयावधि में हो सकेगी और दोनों ही सूचनाओं पर आज हम चर्चा कर सकेंगे।

मेरा दोनों ही दलों के सचेतकों से अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में विचार कर भाग लेने वाले सदस्यों के नाम दें।

(1) प्रदेश में खरीफ फसल हेतु खाद एवं बीज का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति

डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

12.अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

13.नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, भजन सिंह निरंकारी, मदनलाल साहू, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, परेश बागबाहरा, अग्नि चंद्राकर।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) प्रदेश में डायरिया एवं मौसमी संक्रामक बीमारियों के फैलने से उत्पन्न स्थिति

श्री चैतराम साहू, सदस्य का चर्चा हेतु नाम पुकारे जाने पर वे सभा में उपस्थित नहीं थे।

सायं 5.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 3 अगस्त, 2010 (श्रावण 12, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा